संख्या- 27 / 2025 / 116 /चार-2025

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

2-निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 20 जनवरी, 2025**

विषय:- सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के आयोजन के अवसर पर संग्रहालयों में संरक्षित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण 30 कलाकृतियों के सिलिकॉन सांचों का निर्माण तथा पैडेस्टल के साथ 02 सेट फाइवर मूर्तियों को तैयार किये जाने हेतु शेष धनराशि की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के पत्र संख्या-977/उ0प्र0सं0नि0-(कुम्भ-2025)/2024-25पार्ट-2, दिनांक 01.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के आयोजन के अवसर पर संग्रहालयों में संरक्षित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण 30 कलाकृतियों के सिलिकॉन सांचों का निर्माण तथा पैडेस्टल के साथ 02 सेट फाइवर मूर्तियों को तैयार किये जाने हेतु अवशेष धनराशि **रू0 16,08,000/-** की स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया है।

2. अवगत कराना है कि निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ के पूर्व पत्र संख्या-958/उ0प्र0सं0नि0- (कुम्भ-2025)/2024-25पार्ट-2, दिनांक 30.12.2024 द्वारा सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के आयोजन के अवसर पर संग्रहालयों में संरक्षित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण 30 कलाकृतियों के सिलिकॉन सांचों का निर्माण तथा पैडेस्टल के साथ 02 सेट फाइवर मूर्तियों को तैयार किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये **रू0 66,08,000/-** के प्रस्ताव के सापेक्ष शासनादेश संख्या- 01/ 2025 / 3955 / चार-2024 दिनांक 01.01.2025 द्वारा **रू0 50.00 लाख** की वित्तीय स्वीकृति शासन के पूर्व शासनादेश संख्या-3439/चार-2024-1823487, दिनांक 18 नवम्बर, 2024 के क्रम में प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार सनातन गर्व - महाकुम्भ पर्व के आयोजन के अवसर पर संग्रहालयों में संरक्षित ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण 30 कलाकृतियों के सिलिकॉन सांचों का निर्माण तथा पैडेस्टल के साथ 02 सेट फाइवर मूर्तियों को तैयार किये जाने हेतु अवशेष धनराशि **रू0 16.08 (रूपये सोलह लाख आठ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति शासन के पूर्व शासनादेश संख्या-3439/चार-2024-1823487, दिनांक 18 नवम्बर, 2024 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में निम्न शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश संख्या- 01/2025/3955/चार-2024 दिनांक 01 जनवरी, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने में राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों / गाइडलाइन्स एवं मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश संख्या- 57/18-2-2024-97 (ल0उ0)/2016 दिनांक 26.11.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

4. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अन्तर्गत अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-14-महाकुम्भ-2025-42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या - 27 /2025 / 116(1) /चार-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।